पत्र सं0-चे0पो0-चेक पोस्ट समाप्ति/बहती समाप्ति-09-10/552/वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(चेकपोस्ट अनुभाग)
लखनऊ : दिनांक : 30 जुलाई, 2009.

आदेश

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 49 के उपबन्धों के अधीन स्थापित वाणिज्य कर विभाग की समस्त जॉच चौकियों/रेलवे जॉच चौकियों को दिनांक 30/31 जुलाई 2009 की अर्द्ध रात्रि से शासन द्वारा समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 52 सपठित नियम 58 (वैट नियमावली) में प्राविधानित राज्य से होकर सड़क मार्ग से माल के पारगमन हेतु प्राधिकार पत्र की व्यवस्था भी समाप्त करके ऐसे माल के पारगमन हेतु संशोधित व्यवस्था प्रभावी किये जाने का भी निर्णय लिया गया है। इस संबंध में उक्त अधिनियम एवं नियमावली के सुसंगत प्राविधानों में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है। अतः शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के क्रियान्वयन की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 50/52 सपठित नियम 58 के उपबन्धों के अधीन मैं अनिल संत, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 6(ए) एवं धारा 52 सपठित नियम 58(5) वैट नियमावली में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अनुसूची एक के अतिरिक्त समस्त करयोग्य माल के प्रदेश मे आयात एवं परिदान तथा प्रदेश की सीमा से होकर पारगमन हेतु परिवहित होने वाले माल के संबंध में निम्न व्यवस्थायें प्रभावी करता हूँः-

1. समस्त जॉच चौकियों/रेलवे जॉच चौकियों की समाप्ति के फलस्वरूप आयात घोषणा पत्र (प्रपत्र 38) के आधार पर आयात किये जाने वाले माल के संबंध में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था ही प्रभावी रहेगी। यदि शासन द्वारा प्रपत्र 38 के निर्गमन/प्रयोग आदि के संबंध में अन्यथा निर्देश दिये जाते हैं तो तद्नुसार अनुपालन किया जाएगा।

2. चेकपोस्टों की समाप्ति के दिन से रेलवे परिसर अथवा उसके पास स्थित रेलवे चेकपोस्टें भी समाप्त हो जायेगी, तथा रेलवे से आने वाले माल के सम्बन्ध में फार्म-38/39 का पृष्ठांकन रेलवे चेकपोस्ट के स्थान पर सम्बन्धित रेलवे सचल दल के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

3. जॉच चौकियों पर पंजीकृत व्यापारियों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा कर या अर्थदण्ड के रूप में उक्त अधिनियम की धारा 6A के अन्तर्गत ली जाने वाली समाधान राशि की व्यवस्था को चेकपोस्ट समाप्त होने की दशा में क्रियान्वित करना संभव न होगा। इस संबंध में जारी पूर्व सभी परिपत्रों को अतिक्रमित किया जाता है। चेकपोस्टों पर स्वतः घोषणा करते हुए समाधान राशि जमा करके जो माल प्रदेश के अन्दर लाया जाता था, सम्प्रति चेकपोस्ट समाप्ति के बाद उसे केवल आयात घोषणा पत्र (फार्म 38/39) के माध्यम से ही आयात किया जा सेकगा। जिन वस्तुओं पर अग्रिम राजस्व जमा करने की व्यवस्था है वह यथावत प्रभावी रहेगी। यदि कोई माल बिना आयात घोषणा पत्र के परिवहित करते हुए पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार कारण बताओ नोटिस एवं अभिग्रहण आदेश देते हुए जमानत/अर्थदण्ड जमा करायी जाएगी। अतः इस संबंध में सम्यक प्रचार-प्रसार किया जाए और जोन स्तर पर पंजीयन हेतु इच्छुक व्यापारियों को तत्काल पंजीयन कराने की सुविधा अथवा सचल पंजीयन इकाई की व्यवस्था की जा सकती है।

4. चेकपोस्टो की समाप्ति के बाद कोई पारगमन पत्र जारी अथवा खारिज नहीं किया जाएगा। जो बहती चेकपोस्टों से 30-7-2009 तक जारी हुई है, उन्हें निर्गमन (Exit) स्थल पर दि0 05-08-09 तक खारिज कराई जा सकेगी।

5. प्रदेश के बाहर से माल लेकर प्रदेश से होते हुए प्रदेश के बाहर जाने वाले माल के साथ माल से संबंधित प्रपत्रों या बिल/बिल्टी आदि के अतिरिक्त पारगमन घोषणा पत्र के रूप में एक फार्म रखना आवश्यक होगा जो विभागीय वेबसाइट *Comtax.up.nic.in* पर उपलब्ध प्रारूप से डाउनलोड किया जायेगा। इसे प्रान्त के अन्दर प्रवेश के पूर्व उक्त फार्म की सभी प्रविष्टियॉ भर कर डाउनलोड करना होगा। पारगमन घोषणा पत्र में परिवहन के रूट की भी घोषणा करनी होगी। जिसमें प्रदेश में प्रवेश एवं निकासी स्थान के

क्रमशः 2 पर

साथ-साथ दो महत्वपूर्ण स्थानों की घोषणा करना आवश्यक होगा। प्रान्त से होकर जाने वाले माल को प्रान्त के अन्दर घोषित स्थानों पर पल्टी किया जा सकेगा। पल्टी करने के बाद उस माल का परिवहन करते समय उसी पारगमन घोषणा पत्र में नये ट्रक संख्या का अंकन करते हुए माल का परिवहन किया जा सकेगा। प्रदेश के अन्दर से गुजरने वाला माल यदि पारगमन घोषणा पत्र में उल्लिखित रूट से भिन्न रूट में पाया जायेगा तो प्रथम दृष्टया यह विश्वास करने का आधार होगा कि करापंवचन के उद्देश्य से ऐसे माल को प्रान्त बाहर से आयात करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके संबंध में कारण बताओ नोटिस देते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी। पारगमन घोषणा पत्र प्रदेश के अन्दर प्रवेश की घोषित तिथि से अधिकतम 4 दिनों के लिए वैध होगा।

6. यदि किसी वाहन में केवल प्रान्त से होकर बाहर जाने योग्य माल घोषित है तो ऐसे वाहन का प्रथम बार सचल दल द्वारा भौतिक सत्यापन किये जाने पर पारगमन घोषणा पत्र पर अपनी सील सहित हस्ताक्षर कर दिया जायेगा और रास्ते में अन्य सचल दल इकाइयों द्वारा भी वाहन/माल की चेकिंग की जायेगी किन्तु सामान्य रूप से दो बार से अधिक भौतिक सत्यापन नहीं किया जायेगा और दो बार भौतिक सत्यापन कराये जाने की स्थिति में डिटेंशन मेमो/कारण बताओ नोटिस में इसके कारणों का उल्लेख किया जायेगा।

7. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम एवं नियमावली में प्रदेश के अन्दर माल आयात किये जाने एवं प्रदेश से होकर माल का पारगमन किये जाने की अलग-अलग व्यवस्था निर्धारित है। अतः प्रान्त में आयात किये जाने वाले माल एवं प्रान्त से होकर बाहर जाने वाले माल को एक वाहन में न परिवहित करने के लिए ट्रांसपोर्टरों/व्यापारियों को प्रेरित किया जाय जिससे उनके द्वारा अधिक सुगमता से माल का परिवहन किया जा सके।

8. चेकपोस्ट पर तैनात कार्मिकों के समायोजन की कार्यवाही मुख्यालय द्वारा और अभिलेखों एवं चल/अचल सम्पत्ति के संबंध में आवश्यक प्रबन्ध संबंधित जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)/संभागीय ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) के स्तर से जोनल एडीशनल कमिश्नर के निर्देशन में किया जाएगा।

9. इस परिवर्तित व्यवस्था का सम्यक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। यह व्यवस्था दिनांक 30/31 जुलाई 2009 की अर्द्ध रात्रि से प्रभावी होगी। इन निर्देशों/व्यवस्था का उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा 54 की सुसंगत उपधाराओं के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित किये जाने योग्य कृत्य माना जायेगा।

10. समस्त सचलदल इकाइयों को निर्देशित कर दिया जाए कि दिनांक 05-08-2009 तक पारगमन प्राधिकार पत्रों के खारिजी की कार्यवाही में वे वाहन चालकों को यथावश्यक सहयोग प्रदान करेंगे तथा पारगमन घोषणा पत्र की नई व्यवस्था का सम्यक प्रचार-प्रसार करते हुये उनकी कठिनाइयों का नियमों के अन्तर्गत निराकरण करायेगें। ऐसे माल के परिवहन में जब तक की करापंवचन का मामला पूर्णतया स्थिर नहीं हो जाता जब तक उनके विरुद्ध अर्थदण्ड/जमानत की कार्यवाही नहीं की जाएगी अपितु संशय की स्थिति में ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर के निर्देश प्राप्त करते हुये सम्यक कार्यवाही की जाएगी।

(अनिल संत)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।